

2026:AHC-LKO:40173-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका संख्या० - 187/2026

शब्बीर (निरुद्ध) द्वारा पत्नी खैरुन्निसा

.... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह) लखनऊ एवं 4 अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : इकबाल अहमद

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (G.A.)

न्यायालय संख्या० - 9

माननीय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान

माननीय न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद आसिफ इकबाल, जो कथित रूप से उच्चतम न्यायालय बार काउंसिल, नई दिल्ली से आभासी रूप से उपस्थित हुए, तथा राज्य- विरोधी पक्षकार संख्या० 1 से 4 के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह को सुना गया।
2. प्रस्तावित आदेश के आलोक में, विपक्षी संख्या० 5 को नोटिस जारी करने से एतद्वारा छूट प्रदान की जाती है।
3. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की प्रार्थना की है:-
"i. बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए याची/निरुद्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा उसके परिणामस्वरूप उसकी अभिरक्षा एवं निरोध को अवैध, मनमाना, असंवैधानिक तथा प्रारंभतः शून्य घोषित करते हुए वर्तमान याचिका को स्वीकार करने एवं रिहाई का निर्देश दिया जाए।
ii. एक रिट/आदेश या निर्देश जारी करते हुए मुद्रित प्रारूप में बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए यांत्रिक तरीके से पारित रिमांड आदेश दिनांक 11.02.2026 (तथा परिणामस्वरूप पारित रिमांड आदेश) को अवैध तथा अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत घोषित किया जाए।"
4. प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उप निरीक्षक, थाना- सादुल्ला नगर, जिला- बलरामपुर द्वारा प्रेषित अनुदेश पत्र दिनांक 11.02.2026 की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अभियुक्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की गिरफ्तारी के आधार की सूचना दी गई है, जो उन्हें गिरफ्तारी मेमो के साथ प्राप्त हुई है जिसमें गिरफ्तारी के पूर्ण विवरण और कारण दर्शाए गए हैं। उपर्युक्त दस्तावेज/गिरफ्तारी के कारण तथा गिरफ्तारी मेमो अभियुक्त/निरुद्ध व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके रिश्तेदार को प्रदान किए गए हैं, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

5. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी का आधार प्रदान नहीं किया गया है, किंतु विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त सामग्री के आलोक में यह कथन भ्रामक है।
6. चुनौती का दूसरा आधार यह है कि रिमांड आदेश मुद्रित प्रारूप पर जारी किया गया है, जबकि इसे स्वतंत्र न्यायिक मस्तिष्क के प्रयोग द्वारा जारी किया जाना चाहिए था। उल्लेखनीय है कि रिमांड आदेश में अभियुक्त का विवरण, मुकदमा अपराध संख्या, भारतीय न्याय संहिता की धाराएं तथा थाना लिखा गया है तथा रिमांड की अगली तिथि अर्थात् 23.02.2026 लिखी गई है। जहाँ तक टंकित प्रारूप का प्रश्न है, यह केवल यह कहता है कि उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में 14 दिनों का रिमांड स्वीकृत किया जाता है। संलग्नक संख्या० 2 भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 एवं पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत थाना- सईदुल्ला नगर, जिला- बलरामपुर में दर्ज प्राथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.02.2026 मुकदमा अपराध संख्या० 0007/2026 है, जिसमें याचिकाकर्ता/निरुद्ध व्यक्ति एकमात्र अभियुक्त है। उक्त प्राथम सूचना रिपोर्ट में वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध अपराध करने का विशिष्ट आरोप लगाया गया है। उक्त प्राथम सूचना रिपोर्ट के क्रम में, याचिकाकर्ता को 11.02.2026 को प्रातः 07:45 बजे गिरफ्तारी मेमो और गिरफ्तारी के आधार की प्रति प्रदान करते हुए गिरफ्तार किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, रिमांड आदेश को अवैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के साथ अभियुक्त और मामले का सारा विवरण लिखा गया है और केवल इतना दर्शाया गया है कि अभियुक्त-याची को 14 दिन के रिमांड हेतु न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है।
7. हमने एक तथ्य पर ध्यान दिया है कि विवेचना के दौरान, सामग्री और साक्ष्य के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 एवं 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों के आधार पर, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया स्थापित हो गया है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) के तहत भी आरोप पत्र तैयार किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. इसके अलावा, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट याचिका है और इस बिंदु पर विधि सुस्थापित है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट केवल अवैध निरोध के विरुद्ध ही पोषणीय है, किंतु वर्तमान मामले में, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रदान किए गए अनुदेश पत्र को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से, कम से कम वर्तमान याचिकाकर्ता का निरोध एक अवैध निरोध नहीं है।
9. अतः बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट पोषणीय नहीं है। तदनुसार, यह रिट याचिका **खारिज** की जाती है।
10. हालांकि, याची के लिए विधि के समक्ष सक्षम न्यायालय के समक्ष उपयुक्त उपचार प्राप्त करने का विकल्प सदैव खुला है।

(न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत) (न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान)

4 जून, 2026

आर0बी0एस0/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।